



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ क्रूरतापूर्वक वाहनों में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर वध के लिए साधी(म0प्र0) से उन्नाव ले जाते हुए 07 अभियुक्तों को थाना कमासिन पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ 02 डीसीएम(लीलैण्ड) वाहन में 34 भैंस व 38 पड़वा को वध के लिए सीधी से उन्नाव ले जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान राजापुर –कमासिन रोड सत्यम ढावा के पास से किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में आज दिनांक 16.11.2024 को दोपहर करीब 03 बजे वाहन चेकिंग के दौरान थाना कमासिन पुलिस द्वारा राजापुर-कमासिन रोड सत्यम ढावा के पास से 07 अभियुक्तों को 02 डीसीएम(लीलैण्ड) वाहन वाहन में क्षमता से अधिक पशुओं को लादकर क्रूरतापूर्वक तरीके से वध के लिए ले जाते हुए 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी-

- 34 भैंस व 38 पड़वा
- 02 डीसीएम(लीलैण्ड) वाहन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हसन मो0 पुत्र बसीर बक्स निवासी कमर्जी टोला जनपद सीधी (म0प्र0)
2. बर्कत मो0 पुत्र बसीर बक्स निवासी कमर्जी जनपद सीधी (म0प्र0)
3. सहजाद मो0 पुत्र हनीफ मो0 निवासी कमर्जी टोला जनपद सीधी (म0प्र0)
4. राजेश रैदास पुत्र मचल रैदास निवासी अम्झोर जनपद शहडोल(म0प्र0)
5. मुम्तीयाज खान पुत्र अमीर खान निवासी ताला जनपद सीधी(म0प्र0)
6. रहीस खान पुत्र धन्नु खान निवासी उचेहरा जनपद सतना(म0प्र0)
7. रज्जन बक्स पुत्र मौला बक्स निवासी उचेहरा जनपद सतना(म0प्र0)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 186/24 धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 थाना कमासिन

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी श्री राजेश मौर्य
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार
3. हे0का0 बालशंकर द्विवेदी
4. कां0 मनीष शुक्ला
5. कां0 पंकज कुमार